

हिमाचल प्रदेश सरकार,
पंचायती राज विभाग।

संख्या:पीसीएच-एचए (1)2/2019-61991-999

शिमला-171009

दिनांक 3.10.2020.

अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए (1)2/2019-59169-177 दिनांक 14.09.2020 के अन्तर्गत, जिला कुल्लू में ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित, पुनर्गठित और नए ग्राम सभा क्षेत्रों को गठित करने तथा ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला कुल्लू को इस सम्बन्ध में, आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों एवं सुझावों पर उपायुक्त, जिला कुल्लू की सिफारिशों के दृष्टिगत, इस विभाग द्वारा जिला कुल्लू के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन, पुनर्गठन और नए ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना से सम्बन्धित पूर्व में जारी अधिसूचनाओं के आंशिक संशोधन में, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्याक 4) की धारा 3 की उप धाराओं (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जिला कुल्लू के निम्न अनुसूचि में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित, पुनर्गठित कर उनके लिए, उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (1) के प्रयोजन हेतु, निम्न प्रकार से ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना का सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं;

राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2-क) तथा धारा 3-क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत यह आदेश भी प्रदान करते हैं कि इस अधिसूचना के अन्तर्गत ग्राम सभा क्षेत्रों का विभाजन और पुनर्गठन, विद्यमान पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों की पदावधि को प्रभावित नहीं करेगा।

क 0 सं 0	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	नई ग्राम सभा तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा में बचे शेष ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
विकास खण्ड कुल्लू						
1	बल्ह (मुख्यावास धमसेहड)	1 शराच	बल्ह-2 मुख्यावास कोलीबेहड	1 शराच	1 धमसेहड	
		2 कोलीबेहड		2 कोलीबेहड	2 वेहरवाग	
		3 छारशू		3 छारशू	3 चिलाधार	

		4 नरैणी		4 नरैणी	4 ब्रामंग	
		5 श्यारीढग		5 श्यारीढग	5 कटियालीधार	
		6 पीरडी		6 पीरडी	6 घुंघरा	
		7 धमसेहड			7 खड़ीबाग	
		8 वेहरवाग			8 ढणेई	
		9 चिलाधार			9 मुछीराकुटला	
		10 ब्रामंग			10 बदाह	
		11 कटियालीधार				
		12 घुंघरा				
		13 खड़ीबाग				
		14 ढणेई				
		15 मुछीराकुटला				
		16 बदाह				
2	खोखन मुख्यावास खोखन	1 जमोट	परगाणु मुख्यावास परगाणु	1 परगाणु-1	1 जमोट	खोखन नाले के साथ लगते 10 परिवारों को जिनके खसरा न0 1522, 1494, 1495 व 1496 हैं को ग्राम सभा परगाणु में शामिल किया गया है।
		2 खोखन-1		2 परगाणु-2	2 खोखन-1	
		3 खोखन-2		3 शाडाबाई-1	3 खोखन-2	
		4 खोखन-3		4 शाडाबाई-2	4 खोखन-3	
		5 खोखन-4			5 खोखन-4	
		6 परगाणु-1				
		7 परगाणु-2				
		8 शाडाबाई-1				
		9 शाडाबाई-2				

विकास खण्ड निरमण्ड

3	अरसू मुख्यालय अरसू हदबस्त न0 18/53	1 अरसू	बड़ीधार	1 डण्डीधार	1 अरसू	
		2 टिकरी		2 पथाणा	2 शौहच	
		3 टिकरी कैची		3 डोभा	3 दामण	
		4 डण्डीधार		4 डलमैहीधार	4 तंगूर	
		5 पथाणा		5 बड़ीधार	5 सूमा	
		6 डोभा		6 जटेड	6 जूणी	
		7 डलमैहीधार		7 थानूबील	7 रजौडी	
		8 तंगूर		8 शाणू	8 बडारजान	
		9 सूमा		9 चडाकोट	9 चुनागई	
		10 जूणी		10 शठाल	10 डौलबाहन	
		11 रजौडी		11 छदौह	11 खजूनी	
		12 बडारजान		12 दिशोली	12 शाहीडवार	
		13 चुनागई		13 टिकरी कैची	13 टिकरी	
		14 डौलबाहन		14 चौरुडवार		

		15 बडीधार		15 ठांस		
		16 जटेड				
		17 थानूबील				
		18 शाणू				
		19 चडाकोट				
		20 शठाल				
		21 छदौह				
		22 दिशोली				
		23 शौहच				
		24 दामण				
		25 चौरुडवार				
		26 खजूनी				
		27 शाहीडवार				
		28 ठांस				
4	खरगा मुख्यालय खरगा राजस्व गांव तुनन हदबस्त न0 17/49	1 मोचका	बखन मुख्यालय बखन राजस्व ग्राम तुनन हदबस्त न0 17/49	1 थौवा	1 मोचका	
		2 टिकरी कोड		2 ऐजर	2 टिकरी कोड	
		3 टिकरी		3 डुगामातला	3 टिकरी	
		4 कुमाहर		4 चिलाआगे	4 कुमाहर	
		5 डावर		5 ओडीथान	5 डावर	
		6 रोपड़ी		6 बखन	6 रोपड़ी	
		7 डुवारी		7 दरमोट	7 डुवारी	
		8 दोगरी		8 कलाया	8 दोगरी	
		9 खरगा		9 पीपलधार	9 खरगा	
		10 सेरी			10 सेरी	
		11 तान्दी			11 तान्दी	
		12 डुवारु सेरी			12 डुवारु सेरी	
		13 नाल			13 नाल	
		14 कदेड़			14 कदेड़	
		15 सराआगे			15 सराआगे	
		16 शैलावाई			16 शैलावाई	
		17 माहवा			17 माहवा	
		18 थौवा				
		19 ऐजर				
		20 डुगामातला				
		21 चिलाआगे				
		22 ओडीथान				
		23 बखन				
		24 दरमोट				
		25 कलाया				

आदेश द्वारा
सचिव (पंचायती राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या:पीसीएच-एचए(1)2/2019-61991-999

शिमला-171009

दिनांक 3.10.2020.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1. उपायुक्त कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश, शिमला 02।
3. जिला पंचायत अधिकारी कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
4. समस्त सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
5. समस्त सम्बन्धित प्रधान/सचिव, ग्राम पंचायत, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश को 2 प्रतियों सहित (वर्तमान तथा नवगठित ग्राम सभाओं में रिकार्ड हेतु)।

संयुक्त सचिव (पंचायती राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार।